दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: 01.10.2024

<u>ले.पे.अ. 204/2014</u>

राम नरेश (मृतक, वि.प्रति.द्वारा) .... अपीलकर्ता

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:</u>

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री के.सी. मित्तल, श्री युगांश मित्तल और श्री केशव पूनिया, अधिवक्तागण
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	श्री अनिल के. शर्मा, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बाखरू
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. तारा वितस्ता गंजू</u>

1. वर्तमान अपील रि.या.(सि.) 1516/1999 [इसके बाद "आक्षेपित निर्णय" कहा जाएगा] में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.11.2023 के निर्णय को चुनौती देती है। आक्षेपित निर्णय ने

विभागीय जाँच को बरकरार रखा जिसके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी ने राम नरेश नामक व्यक्ति पर सेवा से बर्खास्तगी का शास्ति लगाया जो प्रत्यर्थी/निगम में सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में कार्यरत था।

1.1 एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसने जाँच कार्यवाही पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.03.1997 को दी [जिसे इसके बाद "जाँच निष्कर्ष" कहा जाएगा]। इसके बाद जाँच निष्कर्षों को भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को भेज दिया गया, उन्होंने दिनांक 12.08.1998 को जाँच रिपोर्ट [इसके बाद "जाँच रिपोर्ट" कहा जाएगा] प्रस्तुत की, जिसे अपील प्राधिकारी [इसके बाद "अपील प्राधिकारी आदेश" कहा जाएगा] द्वारा 19.12.1998 को बरकरार रखा गया था।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उक्त राम नरेश का निधन हो गया और उसके बाद, उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा लड़ी जा रही है। संदर्भ की सुगमता के लिए, राम नरेश के साथ-साथ वर्तमान मामले को लड़ने वाले उनके विधिक प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार अपीलकर्ता या राम नरेश के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि उक्त राम नरेश को 03.04.1996 से आगे की अवधि के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 [इसके बाद "एफ.सी.आई." कहा जाएगा] में सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया गया था।

16.07.1996 को, राम नरेश को 16.07.1996 को उनके आधिकारिक कर्तव्यों में कदाचार का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुछ तकनीकी सहायकों के साथ मिलीभगत करके घटिया/अस्वीकृति सीमा से परे (जिसे इसके बाद "बी.आर.एल. चावल" कहा जाएगा) स्वीकार किया और घटिया उत्पाद को दो अलग-अलग गंतव्यों सागर, मध्य प्रदेश और अवाडी, तमिलनाडु भेजा। यह खेप सफीदों, हरियाणा से भेजा गया था। राम नरेश पर अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया था जिससे प्रत्यर्थियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

3.1 दिनांक 16.07.1996 के आरोपों के विवरण में कहा गया कि 19/20.06.1996 को सफीदों में शेष स्टॉक के संयुक्त विश्लेषण के दौरान पाया गया कि चावल टूटा हुआ, बिना भूसा का, चुने जैसा, क्षतिग्रस्त और रंगहीन एवं अस्वीकृति सीमा से परे पाया गया। बाद सागर में लिए गए संयुक्त नमूने से भी यह पता चला कि लिए गए सभी 29 नमूने टूटे हुए और भुसारहित अनाज के लिए अस्वीकृति सीमा से परे थे। इसके अतिरिक्त, अवाडी से 6/7.06.1996 को भी सफीदों से भेजे गए चावल के गुणवत्ता के बारे में शिकायत प्राप्त हुई।

4. एफ.सी.आई. में राम नरेश और विभाग के ग्यारह अन्य अधिकारियों के खिलाफ सामान्य कार्यवाही शुरू की गई। अपीलकर्ता सहित सभी आरोपी अधिकारियों ने जाँच कार्यवाही में भाग लिया। दोनों पक्षकारगण साक्ष्य प्रस्तुत किए। 09.03.1997 को, जाँच अधिकारी ने एक विस्तृत संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि राम नरेश सहित सभी अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।

5. इस रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनिक प्राधिकारी ने 12.08.1998 के आदेश के अनुसार राम नरेश को सेवा से बर्खास्त कर दिया। राम नरेश ने इस आदेश को अपील प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी, जिसने 19.12.1998 को उनकी अपील को खारिज कर दिया।

6. इन आदेशों से व्यथित होकर, सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए, राम नरेश ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

7. दायर याचिका में राम नरेश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि एफ.सी.आई. (कर्मचारी) विनियम, 1971 (जिसे इसके बाद "एफ.सी.आई. विनियम" कहा जाएगा), विशेष रूप से सामान्य कार्यवाही के संबंध में विनियम 62 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एफ.सी.आई. परिपत्र दिनांक 21.11.1995 [इसके बाद "एफ.सी.आई. परिपत्र" कहा जाएगा] के अनुसार, वह गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी

नहीं था। इसके अलावा, राम नरेश ने एक महत्वपूर्ण गवाह से पूछताछ न करने और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई न करने का हवाला देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा किया।

7.1 राम नरेश ने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक अवाडी को माल भेजने का सवाल है, जाँच रिपोर्ट में उसे पहले ही दोषमुक्त करार दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि राम नरेश द्वारा अभिलेख पर रखे गए महत्वपूर्ण साक्ष्य की एफ.सी.आई. के अधिकारियों द्वारा जाँच नहीं की गई। राम नरेश द्वारा डी.ओ. रोहतक को 06.04.1996 को भेजे गए तार पर भरोसा किया गया, जिसमें उन्होंने सफीदों में तकनीकी सहायकों द्वारा घटिया चावल स्वीकार करने में लापरवाही बरतने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि एफ.सी.आई. द्वारा इन तकनीकी सहायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, राम नरेश ने सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली करने की मांग की गई।

8. एफ.सी.आई. ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर अपने प्रति-शपथपत्र में इन दलीलों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि राम नरेश प्रासंगिक परिपत्रों और विनियमों के अनुसार अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों में विफल रहे हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के नियमों और सिद्धांतों

के अनुसार की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि तकनीकी सहायकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी।

9. आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कई कर्मचारियों के लिए सामान्य जाँच कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 62 के उल्लंघन के संबंध में राम नरेश के तर्क को खारिज कर दिया। ***भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम सतीश कुमार अन्य*** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश सबसे ऊँचे अधिकारियों द्वारा दूसरों की सहमति से दिया जाना चाहिए और यह सहमति केवल सजा के आदेश को पारित करने के चरण में आवश्यक है, न कि जाँच शुरू होने पर।

9.1 विद्वान एकल न्यायाधीश ने राम नरेश के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि वह गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। एफ.सी.आई. परिपत्र, विशेष रूप से पैराग्राफ 20 की जाँच करने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि तकनीकी सहायकों की मुख्य जिम्मेदारी थी, जबकि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में राम नरेश का स्टॉक के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की जाँच करने का सतत कर्तव्य था। अवाडी खेप के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एफ.सी.आई. द्वारा दायर जाँच

निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए पाया कि राम नरेश का पूर्ण दोषमुक्ति का दावा संधारणीय नहीं था, भले ही कुछ आरोप हटा दिए गए थे।

9.2 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के मुद्दे पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क में कोई गुणागुण नहीं पाई कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई नहीं करना उल्लंघन है। इस तरह की सुनवाई को अनिवार्य करने वाले किसी विशिष्ट नियम के आभाव में, और यह देखते हुए कि लिखित अभ्यावेदन की अनुमति थी, कोई उल्लंघन स्थापित नहीं हुआ। इसी तरह, तीसरे गवाह (श्री एन.पी.एस. राणा) से पूछताछ न करना नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन नहीं पाया गया, क्योंकि राम नरेश यह साबित करने में विफल रहे कि कैसे इस चूक ने उनके मामले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

9.3 राम नरेश का यह तर्क कि उन्होंने अप्रैल 1996 में दो तकनीकी सहायकों के विरुद्ध लापरवाही की रिपोर्ट दी थी, अस्वीकार्य पाया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही तकनीकी सहायकों की गलती थी, लेकिन यह राम नरेश को उनकी पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि इस शिकायत वाले तार को प्रस्तुत न करने से राम नरेश के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई प्रभाव पड़ा है।

9.4 विद्वान एकल न्यायाधीश ने राम नरेश के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उन्हें अपनी छुट्टी या दौरे के दौरान किए गए खेपों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, यह मानते हुए कि इतनी छोटी अनुपस्थिति उन्हें उनकी समग्र पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की जाँच करने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभागीय अधिकारियों के निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं पाई ताकि हस्तक्षेप किया जा सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः जाँच करने के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। इस प्रकार, राम नरेश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।

<u>अपीलकर्ता की दलीलें</u>

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में ही तर्क दिया कि राम नरेश ने अपने सहयोगियों के गलत कामों की ओर इशारा किया, लेकिन उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें उन गलत कामों के लिए बलि का बकरा बनाया गया।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों की जाँच नहीं करके त्रुटि की है और यह समझने में विफल रहे कि इन आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। यह तर्क दिया गया कि एफ.सी.आई. ने यह साबित

करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि राम नरेश तकनीकी कर्मचारियों को बी.आर.एल. चावल स्वीकार करने की पूरी छूट दी थी, या कि उन्होंने मौद्रिक प्रतिफल के लिए ऐसा किया। अपीलकर्ता आगे दावा किया कि यह आरोप कि वह बड़े पैमाने पर बी.आर.एल. चावल की स्वीकृति में एक सक्रिय और प्रभावी सदस्य था, आधारहीन और सबूत के बिना था।

12. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोप पत्र में लगाए गए वास्तविक आरोपों की जाँच करने के बजाय राम नरेश के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इतर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यह तर्क दिया गया कि गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का आरोप निराधार था, क्योंकि यह स्वीकृत स्थिति थी कि गुणवत्ता प्रमाण पत्र तकनीकी सहायकों द्वारा जारी किए जाने थे, जो अंतिम और बाध्यकारी थे।

13. इसके अलावा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने घटिया बी.आर.एल. चावल स्वीकार करने में अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के बारे में दिनांक 06.04.1996 को तार भेजकर लिखित शिकायत की थी, जो जाँच अधिकारी के निर्देशों के बावजूद जाँच कार्यवाही के दौरान पेश नहीं किया गया था। संबंधित समय में रोहतक में उप-प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में कार्य कर रहे एक महत्वपूर्ण बचाव गवाह से पूछताछ न करना भी एक बड़ी अनियमितता है।

14. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता बताए कि प्रसंगोचित समय पर, वह या तो आधिकारिक दौरे पर थे या छुट्टी पर थे, और तकनीकी सहायकों द्वारा पहले से प्राप्त और प्रमाणित चावल के स्टॉक के प्राप्ति के बाद निरीक्षण की आवश्यकता वाले कोई निर्देश नहीं थे। यह भी तर्क दिया गया कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई करने के अनुरोध को इनकार करना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

15. यह भी तर्क दिया गया कि विभिन्न रैंकों के अधिकारियों के खिलाफ सामान्य कार्यवाही शुरू करना एफ.सी.आई. विनियमों का उल्लंघन है क्योंकि अनुशासनात्मक अधिकारियों से सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

16. अपीलकर्ता ने आगे कहा कि आक्षेपित निर्णय और जाँच कार्यवाही विकृत और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

17. अंत में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, विभाग ने आरोपों के मद्देनजर जाँच करने पर बिना किसी सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा से बर्खास्तगी का असमान दंड दिया है। इस संबंध में ***गिरीश भूषण गोयल बनाम बी.एच.ई.एल. और अन्य*** *में* उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

<u>प्रत्यर्थीगण की दलीलें</u>

18. एफ.सी.आई. के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि राम नरेश, जब एफ.सी.आई. के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे, वे खेपों की निगरानी करने और जाँच करने के लिए जिम्मेदार थे। यह आरोप लगाया गया है कि उनकी देखरेख में घटिया गुणवत्ता वाले चावल प्राप्त किए गए थे, जिसके कारण पर्यवेक्षण विफलता के आरोप लगे। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, राम नरेश को अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार किए गए स्टॉक के 25 प्रतिशत का निरीक्षण करने की आवश्यकता थी, भले ही वह प्रारंभिक स्वीकृति के दौरान मौजूद न रहा हो। यह तर्क दिया गया कि तकनीकी सहायकों द्वारा गुणवत्ता प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने से राम नरेश को उनकी पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिलती।

19. यह भी प्रस्तुत किया गया कि सभी शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सामान्य कार्यवाही द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई नियम और अनुशासनिक प्राधिकारी की सहमति से की गई थी। यह तर्क दिया गया कि पहले की घटना के लिए तार पेश करने के संबंध में राम नरेश का अनुरोध इस स्तर पर पीछे का विचार और अस्वीकार्य है। एफ.सी.आई. ने कहा कि कुछ सबूतों पर विचार नहीं करने का जाँच अधिकारी का निर्णय उचित था, और जबकि अनुशासनिक कारवाई से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है, राम नरेश के दिनांक 08.08.1997 के अभ्यावेदन पर शास्ति लगाते समय विधिवत विचार किया गया था।

20. एफ.सी.आई. ने 17.06.1996 को प्रेषण के दौरान राम नरेश के अनुपस्थिति के दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह शाम को ही डिपो लौट आया था और प्रेषण देर तक जारी रहा। एफ.सी.आई. ने यह भी तर्क दिया कि पहले स्वीकार की गई थोड़ी मात्रा को अस्वीकार करना वर्तमान मामले में राम नरेश को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता नमूना विश्लेषण के लिए सागर में मौजूद था और उसने अन्य तकनीकी सहायकों के साथ संयुक्त विश्लेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।

21. अतः यह तर्क दिया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने राम नरेश पर शास्ति लगाते समय जाँच रिपोर्ट और अन्य पहलुओं पर विधिवत विचार किया और उनका मूल्यांकन किया।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

22. राम नरेश की दलीलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, घटनाओं के क्रम को क्रमबद्ध रूप से निर्धारित करना आवश्यक है। राम नरेश को 6.07.1996 को दिए गए आरोपों के ज्ञापन में कहा गया है कि वह एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 50 का उल्लंघन किया है और उसके खिलाफ जाँच की कार्यवाही शुरू की गई है। आरोप के विवरण से पता चलता है कि राम नरेश ने एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 31 और 32 का उल्लंघन किया था।

22.1 05.08.1996 को एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया और उक्त अधिकारी श्री पी.पी. सिंह ने राम नरेश सहित 12 अधिकारियों के खिलाफ सामान्य कार्यवाही किया, निष्कर्ष 09.03.1997 को जारी किए गए थे।

22.2 इन जाँच निष्कर्षों के आधार पर, अनुशासनिक प्राधिकारी (प्रत्यर्थीगण के प्रबंध निदेशक) की रिपोर्ट जाँच रिपोर्ट होने के नाते 12.08.1998 को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राम नरेश एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 54 और 62 सहपठित विनियम 56 के तहत कदाचार का दोषी था, राम नरेश को बर्खास्त किया गया था। जाँच रिपोर्ट में आरोपों के विवरण के साथ-साथ दिनांक 08.08.1997 को राम नरेश के लिखित अभ्यावेदन का अंश दिया गया है, ताकि सेवा से बर्खास्तगी का निष्कर्ष दिया जा सके। हालाँकि, जाँच रिपोर्ट में निष्कर्ष गुप्त हैं और किसी भी कारण से रहित हैं और निम्नानुसार हैं:

> *"4. और जबकि, मामले के प्रासंगिक अभिलेखों को देखने के बाद, राम नरेश का दिनांक 08.08.1997 का अभ्यावेदन और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, जिसके कारण एफ.सी.आई. को 500 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ तथा श्री राम नरेश, तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण), सफीदों के विरुद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए, अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति का यह मत है कि 'बर्खास्तगी' की शास्ति अपरिहार्य रूप से आवश्यक है।*
>
> *5. अब, इसलिए, एफ.सी.आई. (कर्मचारी) विनियम, 1971 के विनियम 54 और 62 सहपठित विनियम 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति उक्त श्री राम नरेश,*

सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) पर 'बर्खास्तगी' का शास्ति लगाते हैं।"

22.3 राम नरेश द्वारा 14.08.1997 को व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, राम नरेश ने 04.09.1998 को अपील भी की जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को दोहराया गया।

23.4 अपील प्राधिकारी ने दिनांक 19.12.1998 के आदेश द्वारा इसी तरह राम नरेश की अपील को खारिज कर दिया।

24. इस न्यायालय के समक्ष राम नरेश द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि जाँच की कार्यवाही विधि के अनुसार नहीं की गई थी और राम नरेश को अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें अभिलेख पर दस्तावेजों को रखने की अनुमति नहीं दी गई जिससे उन्हें अपने मामले में मदद मिल सकती थी।

25. आगे यह तर्क दिया गया कि राम नरेश द्वारा 04.10.1996 को प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के लिए अनुरोध किये जाने के बावजूद, इन कार्यवाहियों के दौरान उन्हें दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि राम नरेश को जाँच कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह को पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि जाँच कार्यवाही के दौरान उसे व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं किया गया, इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

26. मामले के गुणागुण के आधार पर, यह तर्क दिया गया कि खाद्य भंडार की वास्तविक भौतिक जाँच तकनीकी सहायकों का कर्तव्य था। राम नरेश ने पहले ही 06.04.1996 को तार के द्वारा तकनीकी सहायकों के खिलाफ शिकायत की थी कि घटिया उत्पाद बी.आर.एल. चावल प्राप्त किया जा रहा है। हालाँकि, उसके अनुरोध के बावजूद, उन्हें जाँच कार्यवाही के दौरान तार पेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

27. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि विभिन्न सम्बद्ध तिथियों पर, जब खाद्य भंडार की जाँच की जानी थी, राम नरेश छुट्टी पर थे और एक मामले में, वह उसी शाम को लौटे, हालांकि जाँच अधिकारी ने कहा कि चूँकि वह 17.06.1996, की शाम को ही अपने दौरे से लौटे थे, इसलिए उन्हें शाम को ही जाँच करनी होगी और शाम को ऐसे खाद्य भंडार की जाँच नहीं करना कदाचार के बराबर होगा।

28. आगे यह तर्क दिया गया कि जो आरोप लगाए गए थे, उनके विवरण में कहा गया था कि एफ.सी.आई. को 1 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि, इस तरह के नुकसान का सबूत देने वाला कोई दस्तावेज कभी पेश नहीं किया गया था। न तो नुकसान साबित हुई और न ही यह साबित हुआ कि इस नुकसान के लिए राम नरेश सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। एफ.सी.आई. के 12 अधिकारियों के खिलाफ एक ही समय में जाँच की गई थी। इन

परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया कि दी गई सजा राम नरेश के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप नहीं थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि जाँच में गंभीर अनियमितताएँ थीं और राम नरेश को बर्खास्त करने के आदेश को इस न्यायालय द्वारा प्रतिसंहृत किया जाना चाहिए। उपरोक्त तर्क राम नरेश द्वारा एकल न्यायाधीश के समक्ष भी उठाए गए थे।

<u>कोई सामान्य पूछताछ नहीं</u>

29. अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया था कि सामान्य जाँच कार्यवाही कई अधिकारियों द्वारा की गई थी जो एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 62 का उल्लंघन थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने ***खाद्य निगम*** शीर्षक के एक अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया था कि विनियम 62 एफ.सी.आई. के दो या दो से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए ऐसी सामान्य जाँच कार्यवाही करने की अनुमति देता है।

29.1 शीर्षक **वेद *प्रकाश एवं ओ.एस. गौतम बनाम भारतीय खाद्य निगम*** मामले में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने भी एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 62 की वैधता को बरकरार रखा है। वेद प्रकाश मामले का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

> *"14. हमें नहीं लगता कि याचीगण द्वारा उठाए गए तर्क में कोई गुणागुण है कि एकसमान विभागीय कार्यवाही नहीं हो सकती है।*

> ***<u>विनियमों का खंड 62 सामान्य अनुशासनिक कार्यवाही आयोजित करने की अनुमति देता है।</u>*** *विनियम 62 के पीछे के तर्क और उद्देश्य को समझना भी मुश्किल नहीं है।* ***<u>ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अधिकारी किसी मामले में शामिल हो सकते हैं और इसलिए एकसमान विभागीय कार्यवाही करना वांछनीय और आवश्यक हो सकता है।</u>*** *सामान्य अनुशासनिक कार्यवाही से न केवल समय, प्रयास और ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि यह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय भी सुनिश्चित करेगा, ताकि दोषी अधिकारी की पहचान की जा सके और अधिकारी दूसरों पर दोष मढ़कर बचने में समर्थ न हों। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे सामने यह तर्क नहीं दिया गया है कि विनियम 62 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया गया है।"*
>
> *[जोर हमारा है]*

29.2 किसी भी परिस्थिति में, यह विवादित नहीं है कि सामान्य जाँच कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दिनांक 16.09.1996 के संसूचना के अनुसार दी गई थी। एक बार विनियम 62 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन हो जाने के बाद, सामान्य जाँच के आयोजन को दूषित नहीं कहा जा सकता है।

29.3 इस प्रकार, एक सामान्य जाँच नहीं करने से संबंधित मुद्दे को इस न्यायालय को आगे रोकने की आवश्यकता नहीं है।

<u>नुकसान मूल्यांकन विवरण (एल.ए.एस.)</u>

30. जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि राम नरेश ने तकनीकी कर्मचारियों को मौद्रिक प्रतिफल के बदले बी.आर.एल. चावल स्वीकार करने के लिए खुली छूट दी थी, लेकिन मौद्रिक प्रतिफल कब प्राप्त हुआ, यह निर्धारित करने में विफल रहे। इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

30.1 जहां तक नुकसान का संबंध है, जाँच निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए जाँच रिपोर्ट में कहा गया है कि, प्राप्त गुणवत्ता वाली शिकायतों के बाद नुकसान मूल्यांकन विवरण (जिसे इसके बाद "एल.ए.एस." कहा जाएगा) की प्राप्ति के लिए अकेले सागर से 1.86 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है, जाँच के निष्कर्षों की रिपोर्ट में नुकसान निर्णायक रूप से साबित हुआ है, और मामले की दुर्बल परिस्थितियों के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है। अपील प्राधिकारी के आदेश में कहा गया है कि एल.ए.एस. काल्पनिक नहीं है और कहा गया है कि घटिया/बी.एल.आर. चावल के स्टॉक को राम नरेश ने स्वीकार किया था। हालांकि, किसी भी स्तर पर नुकसान की कोई मात्रा या आकलन नहीं किया गया था। न तो जांच निष्कर्ष/जाँच रिपोर्ट और न ही अपील प्राधिकारी का आदेश इसे निर्धारित करता है।

31. राम नरेश पर सफीदों में खरीदे गए चावल की किसी भी खेप के संबंध में गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का आरोप लगाया गया था, जिसे दैनिक आधार पर जारी किया जाना था। जाँच रिपोर्ट का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

> *"उपरोक्त घटनाओं से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि श्री राम नरेश ने तकनीकी कर्मचारियों को चावल मिलों से बी.आर.एल. चावल के स्टॉक को मौद्रिक [एवमेव] प्रतिफल के बदले स्वीकार करने की खुली छूट दी थी और वह सफीदों में बड़े पैमाने पर बी.आर.एल. चावल की स्वीकृति के पूरे प्रकरण का एक सक्रिय सदस्य रहा था, जिसके लिए गंतव्य ने करोड़ों रुपये की एलएएस राशि भेजी थी।*

श्री राम नरेश, सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) केंद्र में अपने प्रवास के दौरान सफीदों में खरीदे गए चावल की किसी भी खेप के संबंध में गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने में भी विफल रहे, हालांकि ऐसे प्रमाण पत्र दैनिक आधार पर जारी किए जाने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, श्री राम नरेश, सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) सफीदों ने एफ.सी.आई. के एक अधिकारी के रूप में अनुचित तरीके से काम किया और अपने अधीन तैनात तकनीकी कर्मचारियों के साथ-साथ सफीदों के मिल मालिकों की मिलीभगत से एफ.सी.आई. को भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह उन्होंने एफ.सी.आई. (कर्मचारी) विनियम, 1971 के विनियम 31 और 32 का उल्लंघन किया।''

32. अभिलेख से पता चलता है कि स्वीकृति की गुणवत्ता का मुद्दा राम नरेश ने ही अप्रैल, 1996 में अपने खिलाफ आरोप तय होने से पहले ही तार और लिखित संसूचना के द्वारा उठाया था, चावल/बी.आर.एल. चावल की खराब गुणवत्ता की स्वीकृति उसके द्वारा उठाई गया था। ये शिकायतें मामले की जड़ तक जाती हैं लेकिन न तो उस पर विचार किया गया और न ही राम नरेश को इस संबंध में कोई सबूत देने की अनुमति दी गई। अपील प्राधिकारी के आदेश में, वास्तव में, संसूचना को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था कि उन्हें देर से उठाया गया था। यह सही नहीं है क्योंकि दिनांक 04.10.1996 के संसूचना (अपील के संलग्नक पी-4 में) से पता चलता है कि इन दस्तावेजों को राम नरेश ने 04.10.1996 को ही रखा था।

33. जाँच निष्कर्षों के पैराग्राफ 26 में कहा गया है कि विभिन्न तिथियों पर, जब नमूने लिए गए थे, राम नरेश डिपो से अनुपस्थिति थे और

एफ.सी.आई. विनियमों के अनुसार स्वीकृति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना टी.ए. का काम था। जाँच रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राम नरेश ने रोहतक में एक अधिकारी को तार और टेलीफोन के द्वारा टी.ए. के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, हालांकि, उनकी शिकायत के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, जाँच रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जब नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा था, तो राम नरेश ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि उचित विश्लेषण के लिए रासायनिक अभिकर्मक उपलब्ध नहीं था, हालांकि, उन्हें निलंबन की धमकी के तहत अपना विरोध दर्ज किए बिना परिणाम पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था।

34. अपील प्राधिकारी के समक्ष, राम नरेश ने वही तर्क उठाए कि वह प्राप्त खेपों से जुड़े नहीं थे क्योंकि वह छुट्टी पर थे और उन्होंने पहले ही 06.04.1996 को तार द्वारा शिकायत की थी और टी.ए. के खिलाफ शिकायत की थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। किसी भी स्थिति में, उन्हें केवल 25 प्रतिशत स्टॉक को जाँच करने की आवश्यकता थी। अपील प्राधिकारी ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए राम नरेश की बर्खास्तगी को निम्नलिखित तरीके से बरकरार रखाः

> ***"(iv) <u>टी.ए. बिल के अनुसार, सी.ओ. 17.6.96 को डी.ओ. करनाल के दौरे पर थे और उसी दिन अपने मुख्यालय, यानी सफीदों वापस आ गए थे। सी.ओ. 17 की शाम और 18 जून, 1996</u>*** *<u>को उपस्थित थे,</u>*

जिस अवधि के दौरान सागर के लिए विशेष (गाड़ी) लोड किया गया था। इस प्रकार, सी.ओ. का तर्क तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(v) यह कहना सही नहीं है कि एल.ए.एस. एक <u>काल्पनिक कवायद</u> है। यह <u>तकनीकी मूल्यांकन</u> पर आधारित है। <u>एल.ए.एस. (नुकसान निर्धारण विवरण) शब्द</u> अपने आप में निर्धारण को दर्शाता है, जो स्टॉक के परिसमापन के बाद बढ़ या घट सकता है। <u>भले ही अवाडी को भेजे गए स्टॉक के संबंध में गुणवत्ता की शिकायत को हटा दिया गया था.</u> लेकिन तथ्य यह है कि बी.आर.एल. स्टॉक को स्वीकार करके भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप शिकायत की गई। केवल गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को कम करने से सी.ओ. को घटिया/बी.आर.एल. चावल के स्टॉक को स्वीकार करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(vi) सी.ओ. का यह तर्क कि वह उपस्थित नहीं थे, जब <u>सफीदों और सागर में शेष स्टॉक के नमूने लिए गए थे, सही है</u>। अभिलेखों से पता चलता है कि श्री राम नरेश सफीदों और सागर में लिए गए नमूनों के विश्लेषण में मौजूद थे और उन्होंने अन्य तकनीकी सहायकों के साथ संयुक्त विश्लेषण परिणामों पर हस्ताक्षर किए थे।"

[जोर हमारा है]

35. गुणवत्ता संबंधी शिकायतों तार/संसूचना और रासायनिक तत्व के पुनः विश्लेषण से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। अपील प्राधिकारी के आदेश ने राम नरेश की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हुए भी उन्हें बी.आर.एल. चावल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

<u>तकनीकी सहायक द्वारा पर्यवेक्षण</u>

36. एफ.सी.आई. ने एफ.सी.आई. परिपत्र पर भी भरोसा किया जो विपणन मौसम 1995-96 के लिए धान चावल और खरिफ अनाज अनुदान के विनिर्देशों

को निर्धारित करने में प्रचलित था। एफ.सी.आई. द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एफ.सी.आई. परिपत्र के खंड 20 के अनुसार, उचित पर्यवेक्षण और जाँच के लिए, सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) को 25 प्रतिशत स्टॉक का निरीक्षण करना आवश्यक था। इसके आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि राम नरेश गुणवत्ता नियंत्रण का प्रभारी नहीं था।

36.1 एफ.सी.आई. परिपत्र के पुनर्विलोकन से पता चलता है कि मिल में प्राथमिक निरीक्षण तकनीकी सहायक [जिसे इसके बाद "टी.ए." कहा जाएगा] द्वारा किया जाना आवश्यक है, उस अभिलेख को पूरा करने की आवश्यकता होती है जिसे सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा समय-समय पर जांचा जाना चाहिए। एफ.सी.आई. परिपत्र का खंड 13 प्रावधान करता है कि प्रत्येक टी.ए. को विश्लेषण के लिए यादृच्छिक रूप से नमूनों का चयन करना है, जबकि एफ.सी.आई. परिपत्र का खंड 14 कहता है कि टी.ए. द्वारा स्वीकृति अंतिम और बाध्यकारी है और इसलिए, गुणवत्ता स्वीकृति और विश्लेषण पर टी.ए. द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रासंगिक खंडों को नीचे उद्धृत किया गया हैः

> *"4. मिल परिसर में प्रारंभिक निरीक्षण टी.ए. द्वारा किया जाना है जो मिल मालिक के अनुरोध पर मिल परिसर में खेप का निरीक्षण करेगा और मिल मालिक को गुणवत्ता के बारे में और चावल के स्टॉक के उचित (-अपठनीय-) के लिए आवश्यक सलाह भेजेगा। विनिर्देशों के*

अनुरूप नहीं होने वाले किसी भी स्टॉक को पैक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संबंधित टी.ए. को प्रारंभिक निरीक्षण का पूरा अभिलेख रखना चाहिए जिसकी समय-समय पर ए.एम. (क्यू.सी.) प्रभारी द्वारा भी जाँच की जानी चाहिए, ए.एम. (क्यू.सी.) प्रभारी को प्रारंभिक निरीक्षण कार्य के लिए तैनात टी.ए. के कामकाज की उचित जाँच भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

XXXX XXXX XXXX

13. प्रत्येक टी.ए. द्वारा स्वीकार किए गए चावल के स्टॉक की उचित जाँच करने के लिए, टी.ए. द्वारा स्वीकार किए गए लॉट में से यादृच्छिक रूप से चुने गए नमूनों का 5 प्रतिशत जिला मैनेजर द्वारा विश्लेषण के परिणामों के साथ सीधे जिला प्रयोगशाला से विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए एकत्र किया जाएगा, ताकि संबंधित टी.ए. के परिणामों की तुलना की जा सके और इस संबंध में भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसी तरह, क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एस.आर.एम./आर.एम. द्वारा यादृच्छिक रूप से चुने गए 2 प्रतिशत नमूनों को विश्लेषण परिणामों के साथ एकत्र किया जाना चाहिए।

*14. चूँकि **टी.ए. द्वारा डिपो स्तर की स्वीकृति अंतिम और बाध्यकारी है, इसलिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र/स्वीकृति नोट/विश्लेषण रिपोर्ट पर टी.ए. द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाएंगे और भुगतान जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा।***

15. जब तक नमूनों का विश्लेषण नहीं हो जाता और टी.ए. द्वारा जिला कार्यालय को विश्लेषण रिपोर्ट जारी करके स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक कोई भी तदर्थ भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।"

[जोर हमारा है]

छुट्टी/दौरे की तिथियाँ

37. यह विवादित नहीं है कि राम नरेश दिनांक 04.06.1996 से 07.06.1996 के बीच जिला कार्यालय के दौरे पर थे और 11.06.1996 तक

छुट्टी पर थे और यहाँ तक कि 17.06.1996 को भी वे आधिकारिक दौरे पर थे। हालाँकि, जाँच कार्यवाही में कहा गया है कि राम नरेश दौरे/छुट्टी से लौटने के तुरंत बाद 25 प्रतिशत स्टॉक की जाँच करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे, वह ऐसा करने में विफल रहे। यह पाया गया कि राम नरेश पर्यवेक्षण अधिकारी होने के नाते सभी प्रेषणों की निगरानी करने के लिए बाध्य थे क्योंकि यह उनका कर्तव्य था कि कम से कम 25 प्रतिशत स्टॉक की निगरानी करते। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया कि राम नरेश के दौरे/छुट्टी की तिथियों को देखते हुए उनको समग्र जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता है।

38. राम नरेश ने दिनांक 08.08.1997 के अपने अभ्यावेदन में कहा था कि वह केवल 12.06.1996 को ही सफीदों में उपलब्ध थे और उस तारीख को उन्होंने चावल की 4 खेपों को अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि उनके द्वारा पहले लगभग 60 खेपें अस्वीकार किए गए थे। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

> *"...इसी तरह ए.आर.डी.सी. और एफ.एस.डी. सफीदों में इन तिथियों के दौरान चावल की खेप प्राप्त हुई, जैसा कि जाँच रिपोर्ट के पृष्ठ 33 में उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं* ***केवल 12 जून, 1996 को सफीदों में उपलब्ध था और 12 जून, 1996 को ही मैंने अपने निरीक्षण के दौरान चावल की 4 खेपों को अस्वीकार किया था।*** *इसके अलावा* ***अस्वीकृत खेपों का विवरण प्र.अभि.38 में उपलब्ध है जो लगभग 60 है।*** *इसकी पुष्टि* ***जाँच रिपोर्ट के पृष्ठ 33 के नीचे से*** *8वीं पंक्ति* ***से की जा सकती है। अन्य तिथियों को मैं या तो छुट्टी पर रहता हूं या अन्य केंद्रों और मंडियों के दौरे/बैठकों में रहता हूं। इस तथ्य की पुष्टि***

<u>जाँच अधिकारी द्वारा प्रदर्श प्रति.6 (आर.एन.) अभि.7 (आर.एन.) और डी.बी. (आर.एन.) के माध्यम से भी की गई है।"</u>

[जोर हमारा है]

39. इसके अलावा, सागर में विश्लेषण में, राम नरेश ने बताया कि उन्होंने संयुक्त विश्लेषण में कई खामियां देखी थीं, जिन्हें उन्होंने मौखिक और लिखित विरोध द्वारा इंगित किया था। प्रासंगिक अंश नीचे है:

> *"(6) जहाँ तक सागर में संयुक्त विश्लेषण के परिणामों का संबंध है, मैं यह उल्लेख करने के लिए इच्छुक हूँ कि मैंने सागर में चावल के संयुक्त विश्लेषण को सफीदों केंद्र के ए.एम. (क्यू.सी.) की क्षमता के साथ-साथ मुख्य कार्यालय के आदेश का पालन करने के लिए जोड़ा है, न कि एक अपचारी अधिकारी के रूप में क्योंकि मैं सागर पूर्व-सफीदों केंद्र में प्राप्त किसी भी खेप से जुड़ा नहीं था, जैसा कि उपरोक्त पैरा 2 और 3 में स्पष्ट किया गया है। सागर में भी (ए.एम. (क्यू.सी.) की क्षमता में) मैंने संयुक्त विश्लेषण में कई खामियां देखी जिसे मैंने मौखिक और लिखित विरोध (डी-23 और डी-24) द्वारा दैनिक रूप से मौके पर ही इंगित किया था।"*

[जोर हमारा है]

40. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलकर्ता ने उस तार पर भी भरोसा किया है जो पेश नहीं किया गया था, लेकिन अपने अभ्यावेदन में यह दिखाने के लिए उद्धृत किया गया था कि उसने अपनी देखरेख में काम कर रहे टी.ए. की गतिविधियों के बारे में लिखित रूप में सतर्क कर दिया था, लेकिन वरिष्ठ प्राधिकारी ने उसकी रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

"मेरे द्वारा ए.आर.ओ.सी. सफीदों में निरीक्षित किए गए चावल के स्टॉक में बी.आर.एल. पाया गया। विस्तृत रिपोर्ट इस प्रकार है।"

41. इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के विश्लेषण से पता चलता है कि राम नरेश ने वास्तव में संबंधित अवधि के दौरान बी.आर.एल. चावल के अधिकारियों को सतर्क किया था। इस पहलू पर न तो जाँच रिपोर्ट में और न ही अपील प्राधिकारी के आदेश में चर्चा की गई है।

42. ***कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम गिरजा शंकर पंत*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि विभागीय जांच में कुछ आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसमें जांच के दौरान तथ्यों को साबित करना और जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उसे गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने और उन साक्ष्यों के बारे में अपना स्वयं का विवरण या स्पष्टीकरण देने और अपना बचाव करने का अवसर मिलना चाहिए, जिसके आधार पर उस पर आरोप लगाया गया है। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"21. *संयोगवश, हिदायतुल्ला, मु.न्या. चन्नबसप्पा बसप्पा हप्पाली बनाम मैसूर राज्य [(1971) 1 एस.सी.सी. 1:ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 32] ने विभागीय जाँच में कुछ आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता को दर्ज किया –* ***किसी भी जाँच में तथ्यों को साबित करना पड़ताहै और जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसे गवाहों से प्रति-परीक्षा करने और उस साक्ष्य के बारे में अपना पक्ष या स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिए जिसके आधार पर उस पर आरोप लगाया गया है और अपने बचाव का नेतृत्व करने के लिए*** *– विधि की इस स्थिति में, प्रासंगिक तथ्यों में एक सरल प्रश्न*

उत्पन्न होता है। क्या इसका पालन किया गया है? हालांकि तथ्यात्मक आधार पर इसका जवाब जोरदार "नहीं" है।

22. पैंसठ पृष्ठ की रिपोर्ट निगम के प्रबंध निदेशक को याचिकाकर्ता के खिलाफ भेजी गई है जिसमें लिखा है कि उसके खिलाफ आरोप साबित हुए हैं ***– इसका आधार क्या है? क्या जाँच अधिकारी का केवल आरोप-पत्र के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था? उत्तर संभवतः सकारात्मक नहीं हो सकता है;*** *यदि अभिलेखों पर विचार किया गया है, तो तत्काल आवश्यकता इस बात पर विचार करने की होगी कि वह व्यक्ति कौन है जिसने इसे प्रस्तुत किया है और अगला मुद्दा अभिलेखों की प्रकृति के संबंध में हो सकता है – दुर्भाग्य से इस लंबी रिपोर्ट में इस संबंध में एक शब्द भी नहीं है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहाँ है? सुनवाई की तारीख तय करने वाला नोटिस कहाँ है? गवाहों की सूची कहाँ है? बचाव पक्ष के गवाहों को क्या हुआ है? ये सभी सवाल उठते हैं लेकिन दुर्भाग्य से लंबी रिपोर्ट में कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी के पास यह नहीं है – तो क्या इसे न्याय की अवधारणा के अनुरूप कहा जा सकता है या यह पुर्णतः न्याय की हत्या के समान है।* ***उच्च न्यायालय ने इसे न्याय की हत्या बताया है और हम इस पर अपनी सहमति देते हैं। पूरे मुद्दे का इस तरह से निपटान किया गया है कि इसे किसी भी उचित कारण से पूरी तरह से रहित नहीं कहा जा सकता है और इस संदर्भ में*** *डेन्बी (विलियम) एंड संस लिमिटेड बनाम स्वास्थ्य मंत्री [(1936) 1 के.बी.337:105 एल.जे.के.बी. 134:154 एल.टी. 180] के मामले में* ***किंग्स न्यायपीठ*** *खंड का निर्णय पर विचार किया जा सकता है। स्विफ्ट, जे. ने मंत्री के प्रशासनिक कर्तव्यों को निभाते हुए निम्नलिखित बातें कही हैं:*

.....उन कर्तव्यों के निष्पादन में मंत्री के विवेकाधिकार का प्रयोग शामिल है, और मुझे लगता है कि ***लॉर्ड हैल्सबरी ने शार्प बनाम वेकफील्ड [1891 ए.सी. 173 : 60 एल.जे. एम.सी. 73:64 एल.टी. 180 (एच.एल.)] (ए.सी. पृष्ठ 179 पर) इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के संदर्भ में विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ उन्होंने कहाः***

> ***' "विवेकाधिकार का अर्थ है जब यह कहा जाता है कि अधिकारियों के विवेकाधिकार के भीतर कुछ किया जाना है कि कुछ तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है, न कि निजी राय के अनुसारः रूके*** *मामला [(1598) 5 को. रीप. 99बी, 100ए]; विधि के अनुसार, न कि हास्य के अनुसार। यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि विधिक और नियमित होना चाहिए।* ***और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जिसके भीतर अपने पद के निर्वहन में सक्षम एक ईमानदार व्यक्ति को स्वयं को सीमित रखना चाहिए।"***
>
> [जोर हमारा है]

42.1 वर्तमान मामले में, जाँच निष्कर्ष, जाँच रिपोर्ट और अपील प्राधिकारी सभी राम नरेश द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर उचित विचार करने में विफल रहे हैं। राम नरेश को अभिलेख पर महत्वपूर्ण अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच कार्यवाही उसके अपराध की पूर्वकल्पित धारणा के तहत संचालित हुई है, महत्वपूर्ण तथ्यों और तर्कों की अनदेखी करते हुए, और या तो इस बात से इनकार करते हुए कि साक्ष्य समय पर प्रस्तुत किए गए थे या यह दावा करते हुए कि इससे कार्यवाही के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, इन मुद्दों को सतही रूप से संबोधित किया गया है।

43. जहाँ तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई नहीं किए जाने के मुद्दे का संबंध है और इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि एफ.सी.आई. विनियमों

को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि राम नरेश को अपील प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता थी।

43.1 अपील प्राधिकारी के आदेश में इस तथ्य का संदर्भ है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी। हालाँकि याचिकाकर्ता द्वारा इससे इनकार किया गया है। जो भी हो, तथ्य यह है कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त रूप से अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ***कुमाऊं मंडल*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह न्याय की हत्या के बराबर है।

44. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सुस्थापित विधि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, इस न्यायालय को अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर अपील में बैठने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, जहां ऐसे निष्कर्ष विकृत प्रतीत होते हैं, न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ***आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम निर्मला के.आर. दयावती***, उच्चतम न्यायालय ने दोहराया है कि भले ही विभागीय कार्यवाही करने के बाद पारित सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अत्यधिक संकुचित है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की

अनुमति तब भी है जब जाँच अधिकारी के निष्कर्ष और अनुशासनिक प्राधिकारी का निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से गलत या विकृत है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

> *"8. इन सामग्रियों की समग्रता पर, उच्च न्यायालय ने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करना उचित समझा था। ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही करने के बाद पारित सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसके लिए उपलब्ध अत्यधिक संकुचित अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से अवगत था। संकीर्ण और सीमित, हालांकि शायद यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देगा और उन मामलों में उस आधार पर पहुंचे अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष जहां साक्ष्य का महत्व दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत है जो समान रूप से गलत या विकृत हैं। वर्तमान मामले में ठीक यही हुआ था।"*
>
> *[जोर हमारा है]*

<u>शास्ति दंड के अनुरूप नहीं है</u>

45. राम नरेश को एफ.सी.आई. विनियमों के विनियम 54 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। एफ.सी.आई. विनियमों का विनियम 54 निम्नानुसार हैः

> ***"54. शास्तियाँ***
>
> *किसी अन्य विनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद और ऐसी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिसके लिए कोई कर्मचारी तत्काल प्रभाव से किसी अन्य विनियम या कानून के तहत उत्तरदायी हो सकता है, निगम के किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियाँ (अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए और जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है) लगाया जाएगा।*
>
> *छोटी शास्तियाँ*

(i) परिनिंदा करना;

(ii) उसकी पदोन्नति को रोकना;

(iii) लापरवाही या आदेशों को भंग करने के कारण निगम को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान के पूरे या कुछ हिस्से को उसके वेतन से वसूली करना (iii)(क) संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 3 साल से अधिक की अवधि के लिए समय वेतनमान में निम्न स्तर पर पदावनत किया जाना।

(iv) वेतन वृद्धि को रोकना।

बड़ी शास्तियाँ:

(v) उपरोक्त विनियम (iii) (क) में उपबंधित को छोड़कर, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए समय वेतनमान में निम्न स्तर पर पदावनत, इस अतिरिक्त निर्देश के साथ कि निगम का कर्मचारी पदावनत अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर पदावनत अवधि के कारण उसके वेतन में भावी वेतन वृद्धि स्थगित होगी या नहीं;

(vi) निम्नतर समय वेतनमान या पदावनति, जो सामान्यतया कर्मचारी को उस समय वेतनमान या पद पर प्रोन्नति पर रोक लगाएगी, जिससे उसे अवनत किया गया था, तथा निगम के कर्मचारी को जिस पद से अवनत किया गया था, उस पद पर बहाली की शर्तों और उस पद पर ऐसी बहाली पर उसकी वरिष्ठता और वेतन के संबंध में अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना भी ऐसा किया जा सकेगा।

(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा से हटाया जाना निगम के तहत भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी।

(ix) सेवा से बर्खास्तगी सामान्यतः निगम के तहत भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।"

45.1 जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एफ.सी.आई. विनियमों में मामूली और बड़े दंड का प्रावधान है जिसमें पदोन्नति को रोकना, वेतनमान में कमी

करना, वेतन वृद्धि को रोकना, मामूली दंड हैं और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, गैर-कलंकित निष्कासन और सेवा से बर्खास्तगी बड़े दंड के रूप में शामिल हैं। वर्तमान मामले में, राम नरेश को सेवा से बर्खास्त करने की सबसे कठोर सजा दी गई है।

45.2 प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर प्रति-शपथपत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना "*ए.एम. (ओ.सी.) के रूप में कार्य करते समय उसकी पर्यवेक्षी चूक के लिए*" था। यही वह चूक है जिसके लिए राम नरेश पर बर्खास्तगी का बड़ा शास्ति लगाया गया था।

46. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलकर्ता पर लगाया गया शास्ति बर्खास्तगी का था। आरोपों के ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपों का सार कदाचार या दुर्व्यवहार था जो एफ.सी.आई. विनियमों का उल्लंघन है और राम नरेश के तहत तैनात तकनीकी कर्मचारियों के साथ-साथ सफीदों के मिल मालिकों के साथ मिलकर राम नरेश ने एफ.सी.आई. को भारी नुकसान पहुंचाया। न तो जाँच रिपोर्ट और न ही अपील प्राधिकारी के आदेश में नुकसान की मात्रा निर्धारित की गई और और न ही यह कि राम नरेश ने खुद 1.86 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया या उसका कोई विवरण दिया। इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त चर्चाओं से देखा जा सकता है, जाँच रिपोर्ट और अपील

प्राधिकारी के आदेश ने राम नरेश द्वारा उठाए गए बचाव पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया।

47. इस प्रकार, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं। राम नरेश के खिलाफ की जा रही जाँच की कार्यवाही गंभीर प्रकृति की थी और जाँच अधिकारी ने राम नरेश के खिलाफ बर्खास्तगी का निष्कर्ष दिया है। इसके अलावा, राम नरेश पर लगाया गया शास्ति बिना किसी लाभ के बर्खास्तगी का है। इस प्रकार, लगाए गए जुर्माने की प्रकृति को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना अनुशासनिक प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी का दायित्व था कि राम नरेश को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

47.1 इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह दुराचार की गंभीरता के साथ-साथ उसे कम करने वाले कारकों या बचावों पर उचित रूप से विचार करे। सबसे गंभीर शास्ति का अधिरोपण आचरण की प्रकृति के अनुपात में होना चाहिए, और किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले परिस्थितियों को उचित रूप से देखा जाना चाहिए।

47.2 हालाँकि, जाँच कार्यवाही किसी भी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि एफ.सी.आई. द्वारा नैसर्गिक न्याय और समानता के इन सिद्धांतों का पालन किया गया है। जाँच रिपोर्ट दो पृष्ठों में है जहाँ यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने तकनीकी कर्मचारियों को बी.आर.एल. चावल के स्टॉक को

स्वीकार करने की "खुली छूट" दी थी और वह उन व्यक्तियों के समूह का एक सक्रिय सदस्य था जिन्होंने एफ.सी.आई. को नुकसान पहुंचाया। हालाँकि जाँच इस संबंध में राम नरेश के खिलाफ कोई "निष्कर्ष" नहीं दिया, सिवाय सामान्यीकृत निष्कर्ष के और यह कहते हुए कि उनका आचरण एफ.सी.आई. के अधिकारी के लिए अशोभनीय है।

47.3 जाँच रिपोर्ट में अनुशासनिक प्राधिकारी ने राम नरेश को एफ.सी.आई. को हुए 1.86 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक हानि के लिए भी उत्तरदायी ठहराया है तथा यह निष्कर्ष दिया है कि लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए, बर्खास्तगी की शास्ति उचित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उन्होंने उन सबूतों को ध्यान में नहीं रखा जिन्हें प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। राम नरेश द्वारा किए गए नुकसान को भी इन कार्यवाही में एफ.सी.आई. द्वारा न तो मात्रा निर्धारित किया गया और न ही साबित किया गया। दुरभिसंधि और मिलीभगत भी स्पष्ट नहीं थी। यह निष्कर्ष राम नरेश के संसूचना के बावजूद निकाला गया कि बी.आर.एल. चावल को टी.ए. और अन्य अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। वास्तव में, इस निष्कर्ष के अलावा कि नुकसान हुआ था, कोई कारण नहीं दिया गया है। यह केवल निम्नलिखित को निर्धारित करता हैः

> *"4. और जबकि, मामले के प्रासंगिक अभिलेखों को देखने के बाद, राम नरेश का दिनांक 08.08.1997 का अभ्यावेदन और मामले की*

परिस्थितियाँ, जिसके कारण एफ.सी.आई. को 1.86 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ और उक्त श्री राम नरेश, तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण), सफीदों, के खिलाफ विरचित किए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए अधोहस्ताक्षरित का विचार है कि 'बर्खास्तगी' की शास्ति अपरिहार्य रूप से उचित है।

48. अपील प्राधिकारी के आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राम नरेश के कारण यह नुकसान कैसे हुआ। चूँकि, राम नरेश पर भारी नुकसान की मात्रा के आधार पर बर्खास्तगी की शास्ति लगाया गया था, इसलिए यह पता लगाना प्राधिकरण का दायित्व था कि राम नरेश के कारण नुकसान कैसे हुआ था।

49. यह सुस्थापित विधि है कि दी गई सजा दुराचार की गंभीरता के अनुपात में नहीं होनी चाहिए। ***गिरीश भूषण*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि जहां अपीलकर्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था, वहां लापरवाही के लिए बर्खास्तगी की शास्ति उचित नहीं था और कर्मचारी को एक साल की वेतन वृद्धि काटने का दंड दिया गया था। प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

*"**15.** इसलिए, उपरोक्त निर्दिष्ट मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से केवल 6 दिन पहले दिया गया बर्खास्तगी आदेश अत्यधिक है और कदाचार की गंभीरता के अनुपात में नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि वह कंपनी के अन्य कर्मचारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत में शामिल नहीं था जो इस घटना में शामिल थे, जिससे प्रत्यर्थी कंपनी को वित्तीय नुकसान पहुँचा,*

<u>लेकिन चूक के प्रति वह लापरवाह था। हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि</u> *अपीलकर्ता ने आपूर्तिकर्ताओं से उन सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जो बिल के खिलाफ देय थीं जिससे त्रुटि को ठीक किया गया। तदनुसार, उन पर दिए गए बर्खास्तगी के आदेश को अभिखंडित किया जा सकता है और तदनुसार, अभिखंडित किया जाता है। हालाँकि, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते हैं कि उनकी लापरवाही से प्रत्यर्थी कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ है।* ***<u>इसलिए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 6-6-2011 के पत्र के अनुसार श्री बी.एस. राणा को निम्न श्रेणी में पदावनति के मामले में दुराचार के आधार पर 3 साल के लिए दी गई सजा को बराबर रखते हुए, हम बी.एच.ई.एल. आचरण नियमावली के नियम 23(ख) के अनुसार अपीलकर्ता को एक साल की वेतनवृद्धि काटने की समान सजा देते हैं.</u>*** *क्योंकि अपीलकर्ता पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच चुका है जब उस पर बर्खास्तगी का आदेश तामील किया गया था।*

तदनुसार, वि.अनु.या.(सि.) संख्या 30883-84/2012 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपीलों की अनुमति दी जाती है।"

[जोर हमारा है]

50. मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय ने पाया कि जाँच रिपोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष राम नरेश के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से गलत हैं और मामले के तथ्यों को देखते हुए बर्खास्तगी का निष्कर्ष राम नरेश को दी गई सजा के अनुरूप नहीं है।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। कदाचार के लिए राम नरेश की बर्खास्तगी को भी अपास्त किया जाता है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राम नरेश अब जीवित नहीं हैं और कोई नई जाँच अब नहीं की

जा सकती है, यह निर्देश दिया जाता है कि राम नरेश के विधिक प्रतिनिधियों को आज से छह सप्ताह के भीतर उनके सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, से भुगतान किया जाए।

तारा वितस्ता गंजू, न्या.

'विभू बखरु, न्या.

अक्टूबर 1,2024/एस.ए./आर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*